

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर के मुख्यालय परिसर में स्थित वाहन स्टैण्ड, कैन्टीन, फोटो कापी मय फोटोग्राफी की दुकान संख्या-01 व जनरल स्टोर एवं बेकरी की दुकान की वित्तीय वर्ष 2025-26 (01.04.2025-31.03.2026) में चलाने हेतु नीलामी की जायेगी और उन दुकानों को चलाने वाले दुकानदार को सरकारी दुकानें/कैन्टीन, वाहन स्टैण्ड का आवंटन किया जायेगा तथा भूजा व पान के लिए स्थानों का चयन प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा किया जायेगा। आवंटित दुकानों को आवंटन के बाद सफाई व विद्युत की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।

	दुकानों का विवरण	न्यूनतम बोली की धनराशि
1	कैन्टीन	5,06,390/-
2	फोटो कापी मय फोटोग्राफी की दुकान-1	2,28,400/-
3	जनरल स्टोर एवं बेकरी की दुकान	73,210/-
4	साइकिल/वाहन स्टैण्ड की दुकान	7,06,200/-

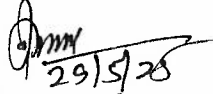
- 1- कैन्टीन हेतु जमानत धनराशि मु0-50.700/-रु0, फोटो कापीयर्स मय फोटोग्राफी की प्रथम दुकान की धनराशि मु0-23000/रु0, जनरल स्टोर्स एवं बेकरी की दुकान की धनराशि मु0-7400/-रु0 एवं साइकिल स्टैण्ड की जमानत धनराशि मु0-71000/-रु0 होगी।
- 2- यह धनराशि बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोली बोलने से पहले जमा करनी पड़ेगी तथा जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, उसकी जमानत की धनराशि उसके द्वारा लिये गये ठेके की धनराशि में समायोजित की जायेगी। शेष लोगों की धनराशि बोली के पश्चात् उन्हें वापस कर दी जायेगी।
- 3- जिन व्यक्तियों के पक्ष में उपरिवर्णित दुकानों की बोली समाप्त होगी, उन्हें ठेके की धनराशि का 50 प्रतिशत ठेके में ली गयी दुकानों अथवा स्थान पर व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा तथा शेष धनराशि समान मासिक किस्तों में 31 दिसम्बर 2025 तक, प्रत्येक माह अदा करना होगा, अन्यथा उन्हें दुकान चलाने से रोक दिया जायेगा।
- 4- यदि ठेकेदार ठेके की धनराशि 31 दिसम्बर 2025 तक जमा नहीं करते हैं, तो बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।
- 5- जो भी बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय के पास सुरक्षित रहेगा और उसे बिना कारण बताये क्रियान्वित किया जायेगा।
- 6- जो भी देय व्यवसाय से सम्बन्धित व्यवसाय करने वाले को शासन को अदा करना है, वे व्यवसाय करने वाले स्वयं अदा करेंगे।
- 7- प्रत्येक ठेकेदार को बेचे जाने वाले वस्तुओं की मूल्य सूची अपने दुकान के बाहर प्रभारी अधिकारी नजारत से अनुमोदित कराने के पश्चात् अपने दुकान के बाहर प्रदर्शित करेगा तथा साइकिल स्टैण्ड के बाहर जो किराया लेगा उसकी भी सूची ठेकेदार प्रदर्शित करेगा।
- 8- ठेकेदार द्वारा बिक्री किये जाने वाले सामानों की गुणवत्ता पर प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत का नियंत्रण रहेगा।
- 9- यदि ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2025-26(01.04.2025-31.03.2026) के पूरा होने से पूर्व अपने व्यवसाय को किसी कारणवश बन्द करता है तो ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे बतौर भू-राजस्व वसूल की जायेगी।

10- जिस व्यक्ति द्वारा किसी ठेके की नीलामी लेना है, वह नीलामी की दुकान चलाने के लिए दो जमानतदार देने होंगे। यदि ठेकेदार अपनी दुकान नहीं चलाता है, तो नीलामी की धनराशि नियमानुसार वसूल की जायेगी।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त दुकानों एवं साइकिल स्टैंड की नीलामी दिनांक- 16 .06.2025 को दोपहर 1:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर के मुख्यालय परिसर के सभाकक्ष में की जायेगी।

उपरोक्त नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर, माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर, तहसील के नोटिस बोर्ड पर, विकास भवन, नगरपालिका परिषद एवं जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाए।


(बीरेन्द्र कुमार)

अध्यक्ष, नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)
जनपद न्यायालय, सिद्धार्थनगर।